

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प सिरोही
पीठासीन अधिकारी : डॉ० बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 05/2016

अपीलान्त
सुशीला पुत्री उमाशंकर पत्नी
किशोरकुमार त्रिवेदी जाति ब्राह्मण
निवासी गोल तहसील सिरोही

बनाम

रेस्पोडेन्ट :-

अचलेश्वर पुत्र खीमजी जाति ब्राह्मण
निवासी गोल तहसील सिरोही

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :-

श्री अश्विन परडीया, विद्वान अभिभाषक अपीलान्त
श्री सुरेश शाह, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

—: निर्णय :-

दिनांक:- 28/2/18

अपीलान्त की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) सिरोही द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 210/2012 बअनवान अचलेश्वर बनाम सुशीला में पारित आदेश दिनांक 18.01.2016 के विरुद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकॉर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।



विद्वान अभिभाषक अपीलान्त ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53, 188 के तहत वाद प्रस्तुत किया तथा वाद के साथ धारा 212 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपीलान्त को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरुद्ध रूप से जैर अपील आदेश पारित किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश के अवलोकन मात्र से ही यह प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कथित महेन्द्र कुमार के हित सुरक्षित करने हेतु स्थापित विधि के सिद्धान्तों के विपरित जाकर जैर अपील आदेश पारित किया गया है। जब महेन्द्र कुमार प्रकरण में पक्षकार ही संयोजित

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प सिरोही

नहीं था, तो उसके हितों को संरक्षित करने हेतु किसी प्रकार का आदेश नहीं दिया जा सकता है। रेस्पोजेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो वाद एवं प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, उसके अवलोकन से भी यह प्रकट होता है कि उक्त वाद रेस्पोजेन्ट ने अपने हितों की रक्षार्थ किया है अथवा महेन्द्र कुमार के हितों की रक्षार्थ, जबकि वाद तो अपीलान्ट एवं रेस्पोजेन्ट के बीच में विचाराधीन था। यदि महेन्द्र कुमार गोदी पुत्र होगा, तो वह स्वयं सक्षम न्यायालय में चारोजोही करेगा, जैर अपील आदेश के जरिये महेन्द्र को अप्रत्यक्ष रूप से गोदीपुत्र घोषित नहीं किया जा सकता है। जैर अपील वादस्थ भूमि अपीलान्ट की सह खातेदारी भूमि के तौर पर राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। कानूनन एक सह खातेदार को अपने हिस्से की भूमि के बेचान से नहीं रोका जा सकता है। रेस्पोजेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने समक्ष तथाकथित गोद रूपी दस्तावेज, सहमति पत्र व कथित इकरारनामा पर गौर कर गंभीर विधिक त्रुटी की है, क्योंकि उक्त दस्तावेजात् को अपीलान्ट ने अस्वीकार किया है एवं ये दस्तावेज पर्याप्त मुद्रांक पर लिखित नहीं है तथा न ही पंजीकृत है। इस कारण साक्ष्य में भी शुमार किये जाने योग्य नहीं है। स्वयं रेस्पोजेन्ट ने अपने आवेदन पत्र में लिखा है कि अपीलान्ट मुम्बई में निवास करती है, तो मौके पर झगडा करने के तथ्य मनगढन्त साबित होते हैं। इस कारण प्रथम दृष्टया मामला रेस्पोजेन्ट के पक्ष में बनता ही नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश में किया गया सम्पूर्ण विवेचन महेन्द्र कुमार को दृष्टिगत रखते हुए किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के टाईटल एवं आधिपत्य को बिना किसी आधार के अस्पष्ट माना है, जबकि ऐसा विवाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन ही नहीं है। सम्पूर्ण प्रक्रिया से स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को उसके खातेदारी हिस्से से विक्रय करने से एवं उसे इच्छित व्यनन करने से वंचित करने के उद्देश्य से जैर अपील आदेश पारित किया गया है, जो विधि विरुद्ध है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील आदेश अपास्त करावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोजेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि जैर अपील वादस्थ भूमि खीमजी की सम्पति थी। खीमजी के दो पुत्र थे, जो क्रमशः उमाशंकर एवं अचलेश्वर हैं। उमाशंकर के कोई जायन्दा पुत्र नहीं होने के कारण उमाशंकर ने महेन्द्र कुमार को गोद लिया था तथा बतौर गोदीपुत्र महेन्द्र कुमार उमाशंकर की भूमि पर काबिज काश्त है। वादस्थ भूमि पर सुशीला का कोई कब्जा काश्त नहीं है। नामान्तरकरण भी अकेले महेन्द्र कुमार के नाम पर दायर किया है, जिसमें सुशीला ने सहमति प्रदान की है तथा जो इकरारनामा निष्पादित किया, उसमें भी महेन्द्र कुमार को गोदीपुत्र माना है। गोदनामा रजिस्टर्ड नहीं होने के कारण उसे मान्यता प्रदान कराने हेतु सिविल न्यायालय में वाद विचाराधीन है। सुशीला द्वारा जैर अपील वादस्थ भूमि में से कुछ हिस्से की भूमि का बेचान कर दिया, जिसके आधार पर क्रेता, अन्य सह खातेदार के हिस्से की भूमि में दखल अन्दाजी करने पर आमादा हो रहे हैं। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष



राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली केम्प सिरौही

वाद प्रस्तुत कर विभाजन का अनुतोष चाहा, यदि अपीलाण्ट को बेचान ही करना है, तो विभाजन के पश्चात अपने हक हिस्से अनुसार भूमि का विक्रय करें। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तीन वाद विचाराधीन है, जिसमें महेन्द्र भी हिस्सेदार है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौके पर रेस्पोजेन्ट का कब्जा मानते हुए अपीलाण्ट को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है। रेस्पोजेन्ट अपने दावे के जरिये महेन्द्र के हिस्से का अनुतोष नहीं चाह रहा है, जबकि महेन्द्र का पृथक से दावा सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद बाहुल्यता रोकने हेतु जैर अपील आदेश पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने बहस के प्रत्युत्तर में कथन किया कि रेस्पोजेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो दावा किया है, वह विभाजन का किया है, जिसमें मात्र सुशीला पक्षकार है, यदि महेन्द्र कुमार का हिस्सा होता, तो उसे भी पक्षकार बनाते, जो नहीं बनाया गया। राजस्व रेकर्ड में अपीलाण्ट खातेदार दर्ज है तथा एक खातेदार को अपने हिस्से की भूमि के बेचान से नहीं रोका जा सकता है। चूंकि महेन्द्र कुमार को गोद ही नहीं लिया गया, तो उक्त भूमि उसकी पुश्तैनी सम्पत्ति होने का प्रश्न ही नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरुद्ध रूप से जैर अपील आदेश पारित किया है, जो खारिज योग्य है। अतः अपील स्वीकार करावें। विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट द्वारा अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक सिद्धान्त आर0आर0टी0 1997 पेज 30, आर0आर0टी0 1997 पेज 394, आर0आर0डी0 2003 पेज 310, डी0एन0जे0 (एस.सी.) 1997 पेज 6 में प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तों का सहारा लिया।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अवलोकन किया। रेस्पोजेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वाद एवं उसके साथ अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु धारा 212 के तहत प्रार्थना पत्र विरुद्ध अपीलाण्ट/अप्रार्थी के प्रस्तुत किया है, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश के जरिये अपीलाण्ट/अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा के जरिये वादस्थ भूमि को ताफैसला मूल वाद के बेचान हस्तान्तरण नहीं करने हेतु पाबन्द किया है। प्रकरण में उल्लेखनीय बिन्दु यह प्रकट होता है कि क्या महेन्द्र कुमार, उमाशंकर का गोदी पुत्र है अथवा नहीं ? इस तथ्य का निर्धारण प्रार्थना पत्र के जरिये नहीं किया जा सकता है एवं न ही उक्त तथ्य जैर अपील आदेश में रेखांकित योग्य था, क्योंकि वाद अपीलाण्ट एवं रेस्पोजेन्ट के मध्य ही विचाराधीन था, जिसमें महेन्द्र कुमार पक्षकार नहीं है तथा एक अजनबी व्यक्ति को बिना वाद के अनुतोष देय नहीं है। प्रकरण में यह भी तथ्य प्रकट हुआ है कि उक्त महेन्द्र कुमार द्वारा अपने हकों के निर्धारण हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया है, जो विचाराधीन है। इस कारण जैर अपील वादस्थ भूमि के




राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कम्प सिरोही

टाइटल के सम्बन्ध में प्रकरण विचाराधीन होने को दृष्टिगत रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद बाहुल्यता को रोकने की मंशा से जैर अपील आदेश के जरिये अपीलाण्ट को भूमि के विक्रय नहीं करने हेतु पाबन्द किया है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि एक सह खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता है, किन्तु एक सह खातेदार के कृत्यों से यदि किसी अन्य सह खातेदार के हित प्रभावित होते हैं, तो उसे पाबन्द किया जाना भी आवश्यक होता है, जिससे विवादों से बचा जा सके। यद्यपि एक सह खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित नहीं है, किन्तु गोदनामा सम्बन्धी तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि अपीलाण्ट अपने हिस्से की भूमि की मालिक है, किन्तु यह भी प्रमाणिक तथ्य है कि अपीलाण्ट द्वारा वाद विचारण के दौरान ही भूमि का विक्रय किया जा रहा है, जिसके कारण भूमि के राजस्व रेकॉर्ड एवं मौके की भौतिक स्थिति में परिवर्तन संभावित है, जिसके कारण अनावश्यक विवाद होगा एवं वाद बाहुल्यता होगी। इन समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को ताफैसला मूल वाद के वादस्थ भूमि का बेचान हस्तान्तरण नहीं करने हेतु पाबन्द किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं पाई जाती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती है तथा सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) सिरोही द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 210/2012 बअनवान अचलेश्वर बनाम सुशीला में पारित आदेश दिनांक 18.01.2016 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकॉर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 28/1/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(डॉ० बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
कैम्प सिरोही